April to June, 2014

Rajasthan Police Academy

News Letter

नये पुलिस मुख्यालय भवन पर सलामी लेते श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, महानिदेशक पुलिस राजस्थान

इस अंक में ...

कॉन्सटेबल का दीक्षांत परेड समारोह

उप निरीक्षक के 40वें बैच का आधारभूत प्रशिक्षण

पुलिस मुख्यालय नये भवन में स्थानान्तरित

Rescue of a Girl Child - A Case Study

प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

निदेशक की कलम से ...

पुलिस प्रशिक्षण की प्राथमिकता पुलिस के समक्ष विभिन्न चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुये पुलिसकर्मियों को उन चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाना है। प्रत्येक स्तर के आधारभूत प्रशिक्षण में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किये जाकर इस लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। उप निरीक्षकों के पाठ्यक्रम में कुछ वर्ष पूर्व परिवर्तन किया गया था। पुलिस में नव आरक्षकों के लिये मुख्यालय स्तर पर उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित की जाकर इण्डोर एवं आउटडोर के सभी विषयों के विभिन्न आयामों एवं पहलुओं का अध्ययन करवाकर नवीन पाठ्यक्रम तैयार करवाया जा रहा है। अकादमी में नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नव आरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कवायद जारी है।

अकादमी में इस वक्त 393 पुलिस उपनिरीक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण चल रहा है। यह राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच है। पुलिस में थाना स्तर के नेतृत्व को सक्षम बनाने के लिये इन उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण अतिशय महत्वपूर्ण है। इन उप निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिये अकादमी में पदस्थापित प्रशिक्षकों के अतिरिक्त आउटसोर्स द्वारा विषय विशेषज्ञों की सेवायें ली जा रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान इस बात का विशेष प्रयास किया जायेगा कि इन अधिकारियों को इण्डोर एवं आउटडोर विषयों में पूर्ण दक्ष बनाया जावे तथा साथ ही थाना स्तर पर आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा अनुसंधान की गहनता की व्यवहारिक जानकारी भी दी जा सके। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों, बीपीआरएण्डडी तथा विषय विशेषज्ञों से मिलने वाले सुझावों पर अमल करने का प्रयास किया जायेगा।

आधारभूत सुविधाओं में विस्तार के लिये अकादमी में अनेक कार्य प्रगति पर हैं तथा कुछ अपने अन्तिम चरण में है। पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हम सभी की जिम्मेदारी है। आप द्वारा प्रेषित सुझावों का हमें इन्तजार रहेगा।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

कॉन्सटेबल का दीक्षांत परेड समारोह

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके रिक्रूट कॉन्सटेबल बैच संख्या 61 की दीक्षान्त परेड दिनांक 07.04.2014 को आयोजित की गई। इस अवसर पर अकादमी परिसर को भव्य रूप से सजाया गया तथा परेड ग्राउण्ड पर किले का निर्माण किया गया। रास्तों पर झण्डियां लगाई गई तथा परेड ग्राउण्ड के निकट व प्रमुख स्थानों पर रंगोलियां सजाई गई। इस दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस श्री ओमेन्द्र भारद्वाज थे, जिन्होंने परेड की सलामी ली तथा परेड का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर परेड की तैयारी श्री आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक, आउटडोर एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा करवाई गई। परेड ग्राउन्ड की साफ–सफाई, सजावट आदि का कार्य भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया। बैठक व्यवस्था हेतु शामियाना, सोफा–सेट, कुर्सियां एवं अन्य व्यवस्थाएं श्री सौरभ कोठारी सहायक निदेशक एवं श्री राजेन्द्र चौधरी उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की गई। अन्य व्यवस्थाएं यथा अतिथि महोदय के आगमन पर घुडसवार व आउट राइडर की व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, अवार्ड के लिए चयन, स्मारिका का संपादन, रास्तों पर सजावट, पुरस्कार, ट्रॉफी, मैडल आदि की व्यवस्था, अतिथियों के ठहरने व आगमन की व्यवस्था, मंच संचालन आदि की जिम्मेदारी विभिन्न अधिकारियों को दी गई।

इस दीक्षान्त समारोह में कुल 283 प्रशिक्षु कॉन्सटेबल शामिल हुये, जिसमें 184 महिला एवं शेष पुरूष कॉन्सटेबल थे। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शारीरिक दक्षता, विधि, कम्प्यूटर, चिकित्सा न्याय शास्त्र, फायरिंग एवं सम्प्रेषण कौशल आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए महानिदेशक पुलिस श्री ओमेन्द्र भारद्वाज ने कहा कि पुलिस का कार्य अतिशय चुनौतीपूर्ण है परन्तु पुलिस के जवानों को चुनौतियों से विचलित नहीं होकर उनका मुकाबला पूर्ण दृढ़ता के साथ करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी को पुलिस के व्यवहार से शिकायत रहती है। अतः शालीनता को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिये तथा प्रत्येक जवान को निष्पक्षता एवं कर्तव्यपरायणता से अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुये अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने जवानों को चुनौतियों को उपलब्धि में बदलने का आहवान किया। उन्होंने कहा

कि जवान के लिए इलाके की जनता उसकी मालिक होती है और देश का संविधान ही उसका धर्म है। उन्होंन कहा कि जवानों ने आज जो शपथ ली है वह एक सामान्य शपथ नहीं है तथा जीवन में जब कभी भी भटकाव आये तो इस शपथ को अवश्य याद करें, जिससे कि सही दिशा मिल सके। इस समारोह में महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री मनोज भट्ट, सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस श्री के.एस. बैन्स, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री नन्द किशोर, श्री कपिल गर्ग, श्री टी.एल. मीणा एवं श्री भूपेन्द्र कुमार दक भी शामिल हुये। अन्य अधिकारियों में जयपुर कमिश्नर श्री जंगा श्रीनिवास राव, अतिरिक्त कमिश्नर श्री विपिन पाण्डेय, श्री विशाल बंसल तथा पुलिस मुख्यालय एवं जयपुर कमिश्नरेट के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मेडल एवं प्रशंसा पत्र दिये गये। कॉन्सटेबल बैच में श्रीमती हेमलता बैल्ट नं0 665 जिला जैसेलमेर ने आल राउण्ड व इण्डोर विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा लॉ विषय में सुश्री अनुसुईया बैल्ट नं0 1038 कोटा ग्रामीण के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। चिकित्सा न्याय शास्त्र में सुश्री नसरत जहाँ बैल्ट नं0 1063 कोटा ग्रामीण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आउटडोर तथा फायरिंग में श्री अर्जुनराम बैल्ट नं0 863 जोधपुर ग्रामीण ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ड्रिल में श्री अशोक कुमार बैल्ट नं. 944 जोधपुर ग्रामीण तथा पी.टी. में श्री चैनाराम बैल्ट नं0 920 एवं भगवानाराम बैल्ट नं0 878 जिला जोधपुर ग्रामीण ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जोधपुर ग्रामीण के ही श्री शिवप्रताप बैल्ट नं0 281 ने ऑल राउण्ड द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर प्रथम बार कुछ अन्य विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को भी मेडल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। कम्प्यूटर दक्षता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए श्री कमल किशोर बैल्ट नं0 928 जोधपुर ग्रामीण, लेखन कौशल में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए श्रीमती हेमलता बैल्ट नं0 665 जैसेलमेर एवं सम्प्रेषण कौशल में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सुश्री निर्मला राठौड बैल्ट नं0 1047 राजसमन्द को सम्मानित किया गया। कम्प्यूटर दक्षता में सुश्री पिस्ता मालावत बैल्ट नं0 1048 जिला राजसमन्द ने द्वितीय तथा श्री पवन कुमार बैल्ट नं0 859 जिला जोधपुर ग्रामीण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लेखन कौशल में सुश्री प्रियंका शर्मा बैल्ट नं0 1268 जिला चूरू एवं सुश्री निर्मला राठौड जिला राजसमन्द ने क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। लेखन कौशल एवं सम्प्रेषण कौशल में अच्छे प्रदर्शन के लिए सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री मदाराम जाखड, सुश्री सुलोचना महला, सुश्री प्रियंका, सुश्री प्रमिला, सुश्री उगन्ता एवं सुश्री सोनू को भी प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। समारोह के पश्चात् सभी अतिथियों तथा पुरस्कार विजेताओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई।

उप निरीक्षक के 40वें बैच का आधारभूत प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में उप निरीक्षक के 40वें बैच का प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिनांक 02.06.2014 से प्रारम्भ हुआ। इन उप निरीक्षकों की नियुक्ति लम्बे समय से लम्बित थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2010 के लिए उप निरीक्षकों की विज्ञप्ति जारी की गई थी। लिखित, शारीरिक दक्षता परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार, शारीरिक चिकित्सा परीक्षण तथा चरित्र सत्यापन जैसी लम्बी प्रक्रिया के पश्चात् नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। इन उप निरीक्षकों के नियुक्ति में विलम्ब का कारण कोर्ट में कई अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई याचिकाएँ थी। वर्तमान में अकादमी में 393 उप निरीक्षक प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अकादमी में इनकी उपस्थिति दिनांक 12.05.2014 से शुरू हुई। प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् दिनांक 02.06.2014 से इनका प्रारम्भिक प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इन उप निरीक्षकों की नियुक्ति से राजस्थान पुलिस को लगभग चार सौ अधिकारी उपलब्ध होंगे। राजस्थान पुलिस में वर्तमान में सभी पदों पर काफी रिक्त पद चल रहे हैं तथा पुलिस विभाग प्रत्येक स्तर पर संख्या की कमी से जूझ रहा है। इन अधिकारियों के उपलब्ध होने से बल में उप निरीक्षकों के रिक्त पदों पर कमी से कुछ राहत मिलेगी।

उप निरीक्षकों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्थाई आदेश संख्या 7/2009 के द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम के अनुसार चलाया जायेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि 12 माह होगी जिसमें राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त शनिवार एवं रविवार के अवकाश के दिन प्रशिक्षण में विराम रखा गया है। इण्डोर तथा आउटडोर के लिए एक–एक हजार सत्र रखे गये हैं। प्रशिक्षण के दौरान शुन्य सप्ताह, मध्यावधि अवकाश, पीरीयोडिकल परीक्षा, मध्यावधि परीक्षा तथा अन्तिम परीक्षा के लिए तैयारी के साथ ही पासिंग आउट परेड के लिए भी समय रखा गया है। इनको इण्डोर प्रशिक्षण के दौरान भारत का संविधान, पुलिस संगठन, भारतीय दण्ड संहिता, स्थानीय एवं विशेष अधिनियम, प्रक्रियात्मक कानून, अनुसंधान के तरीके एवं कला, क्रिमिनोलॉजी तथा अपराधों की रोकथाम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं आई.टी., शान्ति, सुरक्षा एवं पब्लिक ऑर्डर, रोड सेफ्टी तथा ट्रेफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तथा पुलिस में एथिक्स आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। परम्परागत पुलिस प्रशिक्षण के स्थान पर अब पुलिस प्रशिक्षण में समसामयिक विषयों की जानकारी तथा अनुसंधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, कम्यूनिकेशन एवं रिपोर्ट राइटिंग, कम्प्यूटर एवं आई.टी. की विशेष जानकारी, मुकदमों के न्यायालय में विचारण तथा प्रबन्धन गम्भीर अपराधों का अनुसंधान मानव सम्पदा का प्रबन्धन, सड़क सुरक्षा एवं ट्रेफिक मैनेजमेंट, आपदा प्रबन्धन, मानव व्यवहार, विभिन्न समूह तथा संस्थाओं के साथ सम्बन्ध एवं समन्वय, एथिकल बिहेवियर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में कानून के शासन का महत्व, पुलिस कार्य में एथिकल डायमेंशन तथा पुलिस कार्य में नवाचार आदि नवीनतम विषयों पर विशेष बल दिया जायेगा। फोरेंसिक साइंस में डीएनए प्रोफाईलिंग, क्राईम सीन मैनेजमेन्ट, घटनास्थल का अध्ययन आदि पर विशेष बल दिया जायेगा।

आउटडोर प्रशिक्षण में पी.टी. एवं यू.ए.सी., ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग एवं मेंटेनेंस, मस्केटरी प्रेक्टिकल, सिम्यूलेटर, भीड़ नियंत्रण, घुड़सवारी, फील्ड क्राफ्ट एवं प्रेक्टिस, बम डिस्पोजल, एक्सप्लोसिव, प्राथमिक चिकित्सा, ड्राईविंग एवं छोटे वाहनों का रखरखाव, तैराकी आदि सिखाये जायेंगे। आउटडोर प्रशिक्षण में एरोबिक व्यायाम, स्टेमीना बिल्डिंग, योगा, कनेडियन पीटी, बीम, रोप, यूएसी, बाधायें, चपलता आदि पर प्रशिक्षण दिये जाने के साथ ही खान–पान एवं न्यूट्रीशन आदि के महत्व पर भी व्याख्यान दिये जायेंगे। आउटडोर प्रशिक्षण में ही रूट मार्च तथा खेलकूद आदि के द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों में फिटनेस लाने का प्रयास किया जायेगा।

कोर्स संचालन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप का प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस रखा गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिये अन्य विभागों तथा विषयों में दक्ष प्रशिक्षकों तथा अतिथि व्याख्याताओं का चयन किया जाकर श्रेष्ठ प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों में छुपी हुई प्रतिभाओं को संवारनें के लिये प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रतियोगितायें यथा वाद–विवाद, लेखन, सांस्कृतिक गतिविधियॉ आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उनका बहुमुखी विकास किया जा सके।

पुलिस मुख्यालय नये भवन में स्थानान्तरित

राजस्थान पुलिस के लिये 12 मई 2014 का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दिन 65 वर्ष तक रहे पुराने मुख्यालय भवन से पुलिस मुख्यालय नये भवन में स्थानान्तरित हुआ। सुबह नये मुख्यालय भवन पर पुराने मुख्यालय भवन से उतारा गया पुलिस ध्वज फहराया गया। श्री ओमेन्द्र भारद्वाज महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने जब नये भवन में प्रवेश किया तो पुलिस बैण्ड द्वारा केसरिया बालम आवोनी पधारो म्हारे देश धुन बजाकर उनका स्वागत किया। सुबह 09:30 बजे नये मुख्यालय भवन में महानिदेशक पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अतिरिक्त जयपुर में पदस्थापित अधिकांश पुलिस अधिकारी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने कमरा नं. 201 पर लगी पट्टी का अनावरण करते हुए इस कक्ष में प्रवेश किया।

पुलिस मुख्यालय के नये भवन में स्थानान्तरित होने की पत्रावली पर उनके द्वारा प्रथम हस्ताक्षर किये गये। मुख्यालय भवन में स्थानान्तरित होने के साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा वर्ष 2010 के उप निरीक्षकों एव प्लाटून कमाण्डरों के 438 अभ्यर्थियों के नियुक्ति दिये जाने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किये गये। इन उप निरीक्षकों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं व अन्य कारणों से अटकी हुई थी। इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारियों की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया।

नया पुलिस मुख्यालय भवन पुलिस को 40 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है। इस भवन पर 104.21 करोड़ की लागत आयी है। नये भवन में 08 मंजिलें है जिसका शिलान्यास अक्टूबर 2008 को किया गया। मुख्यालय भवन का कुल निर्मित एरिया 7,77,589 वर्गफीट है जिसे राजस्थान राज्य सड़क एवं विकास निर्माण निगम ने बनाया है। दो मंजिल बेसमेन्ट के रूप में काम में आयेगीं जिसमें करीब 300 चौपहिया वाहन एवं 1000 दुपहिया वाहन पार्क किये जा सकते हैं। भवन निर्माण में पारम्परिक राजस्थानी एवं आधुनिक शैली का मिश्रण किया गया है।

नये मुख्यालय भवन के मिलने से पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों में खुशी एवं उत्साह का संचार हुआ है। अब नये भवन में कर्मचारी अपने निर्धारित तल पर कार्य करेगा तथा उसे पुराने भवन की तरह से समस्त मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विचरण करते देखने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। कोई भी कर्मचारी अनावश्यक रूप से कहीं अन्यत्र जाकर समय जाया नहीं कर पायेगा तथा इससे वर्क कल्चर बढ़ेगी। मुख्यालय में आने वाले परिवादी व अन्य व्यक्ति भी निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनावश्यक विचरण नहीं कर पायेंगे। इससे कर्मचारियों के कार्य में अनावश्यक व्यवधान नहीं होगा। इस दृष्टि से नये मुख्यालय भवन में कार्य करने की बेहत्तर परिस्थितियाँ होंगी जिसका लाभ जनता को मिलेगा।

पुराने पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं का रिकॉर्ड व साजो–सामान स्थानान्तरित करने एवं नये स्थानों पर व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। पुराने मुख्यालय का समस्त सामान स्थानान्तरित होने के पश्चात् ही नियमित कार्य शुरू हो पायेगा।

प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का निदेशक महोदय द्वारा सम्बोधन

उप निरीक्षक के आधारभूत प्रशिक्षण शुरू होने पर राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडीटोरियम में निदेशक महोदय श्री भगवान लाल सोनी द्वारा उनको दिनांक 23.05.2014 को सम्बोधित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुये उन्होनें सभी प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का राजस्थान पुलिस परिवार में स्वागत किया तथा कहा कि वे पुलिस परिवार में 80,000 कर्मियों से वरिष्ठ होने के कारण उनका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य सेवा का कार्य है। जिस व्यक्ति को तकलीफ होती है उसे मदद व सम्बल प्रदान करना पुलिस का प्रमुख कार्य है। अगले एक वर्ष में आपको पुलिस कार्य में प्रशिक्षित किया जायेगा। पुलिस के कार्य में आपको अनेक अधिकार प्राप्त होंगे परन्तु इन अधिकारों के साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप हमारी उम्मीद पर खरे उतरे तो हमारा दिया गया प्रशिक्षण पूर्ण माना जायेगा। आपको अपने कार्य में सकारात्मकता एवं इन्सानियत का सम्मिश्रण रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के कार्य में सकारात्मक सोच का अत्यधिक महत्व है तथा इसके लिये उन्हें जीवन के कड़वे अनुभव भूलने होंगे। पुलिस के कार्य में ईमानदारी का भी अत्यधिक महत्व है क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति ही अन्दर से मजबूत होता है। आपको जीवन में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस में कार्य का समय निर्धारित नहीं है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को देश एवं देशवासियों की सेवा का जज्बा रखने का आह्वान किया तथा कहा कि हम जनसेवक हैं तथा जनता हमारी मालिक है। एक पुलिस अधिकारी में जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिये, अगर आपने लोगों को सम्बल दिया तो आपको जनता से बेहद सम्मान मिलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति लोंगो में सम्मान कम हो रहा है तथा प्रशिक्षण में जो कुछ उन्हें सिखाया जाये उसे पूर्ण विश्वास के साथ सीखें।

इस अवसर पर बोलते हुये उन्होंने कुछ बातों के लिये प्रशिक्षण के दौरान विशेष ध्यान देने पर बल दिया जिसमें अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति, झूठे बहाने बनाने को अनुचित बताया। अपने साथियों से दुर्व्यवहार, भ्रष्ट आचरण, प्रशिक्षक के आदेशों की अवहेलना, इन्डोर एवं आउटडोर प्रशिक्षण में मोबाइल तथा अकादमी में तम्बाकू उत्पादों का प्रयोग करने को गंभीरता से लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि छुट्टी बेहद गंभीर परिस्थिति में ही मांगी जानी चाहिये। उन्होंने अकादमी द्वारा दिये जाने वाले आउटपास में पूर्ण पारदर्शिता का भरोसा दिलाया। प्रशिक्षुओं को उनकी जिम्मेदारी का अहसास कराते हुये उन्हें बताया गया कि उनका व्यवहार हमेशा सबकी नजर में रहता है तथा एक व्यक्ति द्वारा किया गया गलत व्यवहार पूरी पुलिस के लिये अनुचित माना जाता है। इसलिये कभी भी अपनी वर्दी पर कोई दाग नहीं लगने दें। अकादमी में उनकी विभिन्न छुपी हुई प्रतिभाओं को निकाल कर तराशने का कार्य भी किया जायेगा जिसके लिये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितायें समय– समय पर आयोजित की जायेगी। उन्हें यह भी बताया गया कि अकादमी में ओपनडोर पॉलिसी है तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पर लिखित में अपने सुझाव दे सकता है। अगर प्रशिक्षण के दौरान आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो अपने मेन्टॉर को अवश्य बतायें।

इस अवसर पर उन्होंने अकादमी में पदस्थापित उप अधीक्षक पुलिस स्तर तक के अधिकारियों का परिचय भी प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को दिया। अन्य अधिकारियों का परिचय श्री दीपक भार्गव, सहायक निदेशक प्रशासन द्वारा दिया गया। आउटडोर स्टाफ का परिचय श्री आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक आउटडोर द्वारा दिया गया। इस अवसर पर बोलते हुये श्री ओमप्रकाश उप निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने पुलिस में सही दृष्टिकोण, दक्षता एवं जानकारी को अतिशय जरूरी बताया। इस अवसर पर बोलते हुये उन्होंने एक प्रशिक्षक की पुलिस अधिकारी बनाने में सबसे अधिक भूमिका बताई तथा प्रशिक्षकों का सम्मान करने के लिये निर्देशित किया।

Rescue of a Girl Child – A Case Study

Children are most vulnerable and specially the girls in the offence of human trafficking. Two small sisters were kidnaped from Adarsh Nagar Jaipur when they were going to school. The younger sister was recovered from Sindhi Camp Jaipur while the trafficker was trying to carry her to a village near Kishangarh District Ajmer. It was a chance recovery. The girl asked for water and when the person accompanying her returned with water, he found a uniformed constable standing near the girl. He preferred to slip away from the place. After some time, the girl started weeping. When she was asked for the reason of weeping, she narrated everything about her kidnaping. She was handed over to her father. This case was registered at P.S. Adarsh Nagar, Jaipur and then transferred to CID (CB). The case was handed over to CBI, Jaipur Branch on the order of the Rajasthan High Court.

In this case, the father of the girl had prepared an audio cassette of the younger daughter blaming a lady residing in their neighborhood. On the basis of the cassette, the father of the girl started blaming the police for favoring the women. He was blaming the lady because of an episode . The lady was married to a man who was a drunkard and lady also used to have drinks. One day, she had a scuffle with her husband. She left her house in a fit of rage in the late evening. The mother of girls had acquaintance and stopped her going to her sister's house in Sanganer. She was offered to stay in their one room rented house, as it was too late. In the night, she said that she was having a quarter of wine but as she was having excessive stress, it was not enough for her. The girl's father offered her a bottle of rum. The lady drank in excess resulting into vomiting. During the night, the man tried to caress her which she vehemently rejected. She chided the man for misusing the opportunity. In the morning, the lady left for her home. Both the girls were kidnaped two days later giving suspicion to the father of the girls. The cassette was prepared blaming the lady. It was mentioned that the aunty who vomited in the night at their home had come with two persons in a rickshaw and had asked them to kidnap.

The High Court was giving stern instruction to recover the girl. The parents of the girl and the suspect lady with her husband were taken to CFSL New Delhi for polygraph test. It was opined that the spouse was not lying but the parents were lying on the matter. Even after this report, the High Court ordered exhaustive efforts to recover the girl. The renewed efforts started with publishing pamphlets and an advertisement in the T.V. After some time, an informant from a village came and gave information about the girl and her marriage with son of a prostitute. He also informed about the cassette of marriage and a photo album prepared by a photographer hired from Kishangarh. A team was formed by the then Superintendent of Police C.B.I. The constable who verified the information could not find the girl at the house informed. He gave description of the house and exit routes. There was one pakka room and other rooms were thatched. The house was having four exits. It was planned in advanced as who were to search the rooms and who were to guard the exit routes. The raid finished in few minutes but the girl was not found. Meanwhile the constable of the police O.P. was also called to support the C.B.I team. The owner of the house posed innocent and asked about the purpose of the

search. When the girl was not recovered, she was asked about the girl who was married to her daughter's son. She refused to any such marriage and tried to mislead by giving false information about the marriage of daughter of another lady. When she was asked to produce those girls, two girls were produced. The girl's father was also accompanying. He said that none of them was his daughter. The constable also confirmed their marriage on that specific date. Finally, it was decided to search the pakka room in the house very carefully. When the party entered the room, a photograph of a marriage bathing ritual of a small girl was lying on the floor. When it was picked up, the girl's father identified her as his daughter. During the search, a video cassette, a stamp paper containing details of purchase of the girl and an album of marriage were also recovered which were hidden in a quilt. When all the exit routes were sealed, the lady who had purchased the girl tried to hide these articles in a quilt in the room. In this process, one photograph from the album fell on the floor. These articles were seized from the house and other legal formalities were also completed.

When the lady was asked to produce the girl in photograph, she said that she was not there. She called another lady for recovery of the girl who had left the girl with her father. The party left for a place near Lasadia. The party found an old man with his wife outside his huts. When he was asked about the girl, he refused for any such girl. His daughter said, 'Baba, they are police persons and I have come for the girl'. Then he indicated for a small girl who was grazing cattle at some distance. The girl was recovered after a long gape. The case resulted into conviction of six persons for seven years.

This was a case in which girl's father was misleading the investigators due to his own guilty conscious. The younger daughter and his wife were also supporting his unfounded suspicion. The polygraph test revealed the true picture but police had to try hard for the recovery of the girl. The success was because efforts were made to verify the complaint by physically visiting the place twice. The girl was not found even then the raid was planned. The physical visit helped in planning the individual's role. All the four exit points were choked and exit and entry during the raid were strictly deterred. It was decided to conduct the raid early in the morning. Response to the queries of the persons of the house and their resistance was also planned. When efforts were made to hide the album, video cassette and papers of purchase from iron box to quilt, photograph of the girl fell on the ground. Efforts were made to misguide the raid party. Their version was not trusted and further thorough search was conducted in the room (pakka). That resulted into recovery of substantial evidence against the accused persons

Lessons learnt

1- The police should not allow investigation to somebody else and may work on different leads.

2- Scientific evidence is important to get specific lead and specially the polygraph test.

3- Verification of information is always helpful in planning.

4- Planning is sine qua non for conducting raids.

5- Role of individuals must be briefed in detail and pre-decided.

6- Entry and exit need to be chocked during the raid.

7- Cool behavior and minimum response to the queries during raid is important.

8- No damage to persons or property should be caused.

9- Wining the confidence till the recovery is also important. (In this case, after recovery of photograph of the girl, the stress was laid on recovery of the girl and accused persons were arrested after the recovery of the girl. They were under the impression that they would remain unharmed after the recovery of the girl.

10- Trust on accuse persons may be fatal and detrimental to the investigation.

11- Thorough, minute and systematic search is very important.

12- Violence or threat at the time of search is always harmful. (During the trial, the owner of the brothel revealed in complaining voice that had she not trusted the police, she would have never helped in the recovery)

13- Team sprit and team work is very important.

14- The leader of the raid party should give necessary instructions to his party members at every stage.

Jagdish Poonia
RPS

सड़क दुर्घटना में घायलों की सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण

भारत में विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2013 में सड़क दुर्घटना के कारण 400517 लोगों की जान गई। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु से कई गुना अधिक संख्या घायलों की होती है। इस समस्या के निदान के लिये विभिन्न स्तरों पर मन्थन, कारगर नीति निर्धारण के साथ ही विभिन्न स्तरों पर उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। राजस्थान पुलिस अकादमी में सड़क दुर्घटना में घायलों की सुरक्षा के लिये Sensitization of Police Officers for Safety of Victims of Road Accident विषय पर दिनांक 26 से 28 जून 2014 तक कार्यशाला आयोजित कर पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

इस कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं के प्रकार, सुरक्षात्मक ड्राईविंग के प्रमुख सिद्धान्त, सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे सम्बन्धित कानून, दुर्घटनाओं के कारण तथा प्रभाव, ट्रेफिक पुलिस कर्मियों का व्यवहार तथा सुरक्षात्मक ड्राईविंग एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के तरीकों के लिये ऑडियो–वीडियो क्लीपिंग द्वारा ज्ञान, यातायात नियत्रंण के उपकरणों तथा संकेतों की समझ, First Aid आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गये। इस कार्यशाला में 21 उप निरीक्षक तथा 19 सहायक उप निरीक्षक शामिल हुये।

चाईल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज पर प्रशिक्षण

अपराधों की दृष्टि से महिलाओं एवं बच्चों को सर्वाधिक कमजोर स्थिति में माना जाता है। राजस्थान पुलिस अकादमी में यूनिसेफ के सौजन्य से चाईल्ड प्रोटेक्शन पर विभिन्न प्रशिक्षण अकादमी स्थित सीडीपीएसएम द्वारा करवाये जाते हैं। दिनांक 24–25 जून 2014 को 'चाईल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज' विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बच्चों की सुरक्षा पर अपने विचार साझा करते हुये प्रतिभागियों से बच्चों पर होने वाले अपराधों में पूर्ण संवेदनशीलता से कार्य करने का आह्वान किया। इस सत्र में ही श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां ने प्रशिक्षण पूर्व प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिभागियों की बालकों के अधिकारों एवं अन्य प्रावधानों के सम्बन्ध में उनकी जानकारी का स्तर जानने का प्रयास किया। कार्यशाला में श्री विजय पाल सिंह कन्सलटेन्ट यूनिसेफ ने भारत तथा राजस्थान में बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों का विश्लेषण करते हुये बच्चों के अधिकार, संवैधानिक प्रावधान तथा नीतियां एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। चाईल्ड वेलफेयर कमेटी, जयपुर की सदस्या श्रीमती संतोष अग्रवाल ने जेजे एक्ट के प्रावधानों की व्याख्या करते हुये जिन बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, उनके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बच्चों के पुनर्वास में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी की भूमिका, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सम्बन्ध में पुलिस की भूमिका आदि पर व्याख्यान दिया। श्री महेन्द्र कुमार एसीजेएम ने जेजे एक्ट पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करते हुये विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बच्चों के मामलों में पुलिस की भूमिका पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री यदुराज शर्मा ने एक था बचपन पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म दिखाते हुये प्रतिभागियों से अपने विचार साझा किये।

कार्यशाला के दूसरे दिन श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां ने पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को बताते हुये एसजेपीयू तथा पुलिस की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री विजय गोयल ने बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों एवं अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुये बच्चों की तस्करी से सम्बन्धित कानून तथा बचाव कार्यवाही में अपनायें जाने वाली विधाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होनें चाईल्ड लेबर एक्ट के विभिन्न कानूनी प्रावधान भी बताये। कार्यशाला में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका तथा बच्चों की सुरक्षा एवं चाईल्ड हेल्प लाईन की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यशाला के अन्तिम सत्र में श्री यदुराज शर्मा द्वारा बच्चों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों एवं विभिन्न जानकारियों के सम्बन्ध में प्रश्नावली भरवाकर उनकी जानकारी में हुई अभिवृद्धि का जायजा लिया।

निवेदन

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लेटर के माध्यम से हम अकादमी एवं राजस्थान पुलिस की गतिविधियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपको जानकारी देते रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमेशा आपेक्षित रहेगा। अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करने का श्रम करें।

संपादक

अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण

राजस्थान पुलिस अकादमी में 'अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 11.06.2014 से 13.06.2014 तक आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उप निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक तक के 42 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में चोरी, वाहन चोरी, नकबजनी एवं चैन स्नैचिंग के अपराधों से प्रभावित क्षेत्रों की क्राईम मैपिंग तथा तीन वर्ष के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर गश्त, नाकाबंदी व अपराधियों की तलाशी व दबिश की योजना बनाकर धरपकड़ विषय पर श्री अनिल पालीवाल महानिरीक्षक पुलिस पुनर्गठन द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बीट प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वन एवं अपराध नियंत्रण में सीएलजी सदस्यों का सहयोग, सामुदायिक पुलिस अधिकारी, सजग पड़ौसी योजना का अपराध नियंत्रण में प्रभावी उपयोग विषय पर अपने सेवा काल के अनुभव साझा करते हुये जयपुर आयुक्तालय में सीएलजी सदस्यों के सहयोग से तनावपूर्ण स्थितियों पर नियंत्रण करने के अनेक दृष्टान्त प्रतिभागियों को बताये। उन्होंने प्रतिभागियों की इस शंका का समाधान भी बताया कि कई लोग जुगत लगाकर सीएलजी के सदस्य बन जाते हैं तथा उसके पश्चात् सीएलजी के नाम का दुरूपयोग करते हैं। उन्होनें बताया कि जिन लोगों की छवि खराब हो उन्हें सीएलजी सदस्य से हटाने के प्रावधान हैं।

प्रशिक्षण में अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया तथा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975, राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम 1953, राजस्थान पुलिस नियम 1965, (अध्याय–4) पर श्री लक्ष्मण सिंह मण्डा सहायक निदेशक इण्डोर द्वारा जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को चोरी, वाहन चोरी, नकबजनी एवं चैन स्नैचिंग एवं अन्य सम्पति संबंधी अपराधों में लिप्त आभ्यासिक अपराधियों का रिकोर्ड तैयार कर राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्यवाही, अभ्यस्त एवं सक्रिय अपराधियों को सूचीबद्ध कर उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु हार्डकोर क्रिमिनल, केस आफिसर स्कीम का प्रभावी क्रियान्वन, धारा 75 भा.द.स. का प्रयोग एवं वर्तमान परिपेक्ष्य में राजस्थान में विभिन्न प्रकार के संगठित अपराध एवं उनके विशेष लक्षण तथा राज्य में सक्रिय आपराधिक गिरोहों की गतिविधियां, स्थानीय लोगों को निगरानी प्रणाली व जीपीएस प्रणाली के प्रयोग के लिये प्रोत्साहित करना, संगठित अपराधों की रोकथाम एवं अनुसंधान, हथियार तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, मानव तस्करी, आपराधिक आसूचना एवं अपराध निवारण में आधुनिक तकनिकी का प्रयोग करने के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949, राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007, मोटर वाहन अधिनियम 1988 (धारा 184 एवं 185) आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में श्री शंकर लाल ओझा एसीपी कोतवाली ने संपति सम्बन्धी अपराधों के अनुसंधान की चैक लिस्ट तैयार करना एवं अनुसंधान में रखी जाने वाली सावधानियां, जिला स्तर पर संपत्ति संबंधी अपराधों के अनुसंधान हेतु दक्ष अधिकारियों का उपयोग एवं गुणात्मक साक्ष्यों का संकलन पर व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षको के प्रशिक्षण (TOT) का आयोजन

आधुनिक लोकतान्त्रिक समाज में पुलिस का कार्य गतिशील एवं व्यस्त होने के साथ साथ चुनौतिपूर्ण भी होता जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षको को प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं की जानकारी देने एवं प्रशिक्षण में नवाचारों को अपनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाना अतिशय महत्वपूर्ण है। एक बेहतर प्रशिक्षित प्रशिक्षक ही अच्छा प्रशिक्षण दे सकता है। प्रशिक्षकों के ज्ञान में अभिवृद्धि करने, प्रशिक्षण की अद्यतन जानकारी प्रदान करने पुलिस सम्बन्धी अभिनव पक्षों की जानकारी देने एवं उनकी प्रशिक्षण क्षमताओं एवं दक्षता में अभिवृद्वि करने की निरन्तर आवश्कता रहती है।

पुलिस प्रशिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिये पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) करवाये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर श्री लक्ष्मण सिंह मण्डा के निर्देशन में टीम गठित की जाकर दिनांक 12.05.2014 से 17.05.2014 तक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में श्री कार्तिकेय मिश्रा ने Learning and Traning - A Systematic approach to Training एवं Training Skill :- Attributes for effective Training विषयों पर उद्घाटन सत्र में विस्तार से बताया। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर श्रीमती कमला वशिष्ठ ने लेशन प्लान एवं टीचिंग स्किल्स पर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान की। श्री दुष्यन्त दत्त आरजेएस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में हुये नवीनतम संशोधनों की जानकारी देते हुये डी.के. बसु के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यशाला में राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 में उल्लेखित पुलिस के कर्तव्य एवं सामाजिक दायित्वों के बारे में श्री शंकर लाल ओझा एसीपी कोतवाली द्वारा जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यशाला में प्रशिक्षकों द्वारा पावर पॉइन्ट के माध्यम से अध्यापन कराने तथा प्रभावी पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन बनाने की विधायें वीआईटी के प्रशिक्षक श्री मुकेश कुमार द्वारा बताई गई। डॉ तन्जुल सक्सेना ने प्रभावी प्रशिक्षण के लिये प्रभावी संवाद की कला के बारे में जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण में मीडिया के

साथ संवाद के बारे में श्री राजेश व्यास जनसम्पर्क अधिकारी पुलिस आयुक्तालय ने जानकारी प्रदान की। प्रो. अनिल मेहता ने प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्हानें प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्याकंन के बारे में भी जानकारी प्रदान की। श्री महेन्द्र दवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्चों से सम्बन्धित कानून एवं श्रीमती रेनूका पामेचा ने महिलाओं से सम्बन्धित कानून के बारे में जानकारी प्रदान की। साईबर अपराधों के अनुसंधान के सम्बन्ध में श्री शंकर लाल ओझा एसीपी कोतवाली, जयपुर तथा अनुसंधान से सम्बन्धित नवीनतम सर्कुलर एवं स्थाई आदेशों के बारे में श्री मनीष त्रिपाठी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के लेखन कला तथा रिपोर्ट राईटिंग में दक्षता विषय पर सेवानिवृत महानिरीक्षक पुलिस श्री हरिराम मीणा द्वारा जानकारी प्रदान की गई। क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट 2013 तथा मुख्य अधिनियमों में नवीनतम संशोधनों के बारे में श्री लक्ष्मण सिंह मण्डा सहायक निदेशक इण्डोर द्वारा जानकारी प्रदान की गई। श्री धीरज वर्मा उप निरीक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा गवाह के बयान दर्ज करने से सम्बन्धित कानूनी प्रक्रियाओं के साथ ही इनके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों की जानकारी प्रदान की। कार्यशाला में प्रतिभागियों को भी विभिन्न विषयों पर बोलने का अवसर दिया गया। इस कार्य शाला में राजस्थान पुलिस अकादमी के अतिरिक्त राज्य के सभी पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों से उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक के 32 पुलिस अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कॉन्सटेबल का आधारभूत प्रशिक्षण एवं निदेशक महोदय का सम्बोधन

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 03.06.2014 से कॉन्सटेबल के 62वें बैच का आधारभूत प्रशिक्षण आरम्भ हो चुका है। इस बैच में कुल 133 कॉन्सटेबल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनका प्रशिक्षण 31 मई 2015 तक अकादमी में चलेगा। प्रशिक्षणार्थियों के लिये अकादमी में सभी तरह की तैयारियां की जाकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बैच से कॉन्सटेबल के लिये नया पाठ्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। अकादमी में उपस्थिति के पश्चात् इनका कार्यक्रम शुन्य सप्ताह से शुरू किया गया जिससे कि प्रशिक्षु अपनी प्रारम्भिक आवश्यकतायें पूर्ण कर सकें तथा अकादमी की विभिन्न गतिविधियों से उन्हें परिचित करवाया जा सके।

दिनांक 23.06.2014 से आधारभूत प्रशिक्षण शुरू होने पर राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडीटोरियम में निदेशक महोदय द्वारा उनको सम्बोधित किया गया। पुलिस परिवार में उनका स्वागत करते हुये उन्होंने बताया कि पुलिस कार्य अतिशय महत्वपूर्ण है। भविष्य में उन पर लोगों की जान व माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। उन्हें सम्बोधित करते हुये निदेशक महोदय ने उन्हें बताया कि किसी तकलीफ वाले व्यक्ति को राहत देना तथा दोषी को सजा दिलवाना बहुत बड़े कार्य हैं जिनका उन्हें जीवनभर निर्वाह करना होगा। उन्होंने पुलिस कार्य में नवाचारों के प्रयोग करने पर बल देते हुये जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता को भी आवश्यक बताया। उन्हें बताया गया कि वो अगर सेवाभाव से कार्य करेंगे तो उन्हें अधिक पहचान मिलेगी। पुलिस में कार्य समय निश्चित नहीं हैं तथा पुलिस को अक्सर विपरीत परिस्थितियों में ही बुलाया जाता है। उनके द्वारा की गई मदद को पीड़ित व्यक्ति वर्षों तक याद रखता है। अतः प्रत्येक पुलिस कर्मी में सेवा का जज्बा होना चाहिये। पुलिस के पास असीमित अधिकार है परन्तु उन अधिकारों का प्रयोग पूर्ण सावधानी एवं ईमानदारी से करना चाहिये। उन्हें बताया गया कि प्रशिक्षणकाल में सीखी गई बातें जीवन पर्यन्त काम में आती हैं। अतः अपनी शंकाओ के समाधान के लिये अधिकतम प्रश्न करे तथा पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण के दौरान रखी जाने वाली सख्ती एक आरक्षी को मजबूत बनाने के लक्ष्य से की जाती है।

आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अनुशासन में रहने, टीम भावना से कार्य करने, मर्यादित आचरण करने तथा अपने साथियों का सम्मान करने के लिये भी कहा गया। उन्हें बताया गया कि प्रशिक्षण में अनुशासनहीनता, तम्बाकू उत्पादों का सेवन, भ्रष्ट आचरण तथा विभाग की छवि खराब करने वाले कार्य, प्रशिक्षकों से उलझने, कक्षा कक्ष में मोबाईल का प्रयोग करने आदि पर उन्हें दण्डित किया जा सकता है। उन्हें बताया गया कि प्रशिक्षण के दौरान कुल 08 आकस्मिक अवकाश मिलेगें तथा गैर हाजिर होने पर दण्डित करने का प्रावधान है। उन्हें बताया गया कि पुलिस प्रशिक्षण में श्रमदान टीम भावना विकसित करने के लिये आवश्यक है, जिसे अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिये।

उन्हें निदेशक महोदय ने एक लाख पुलिस कर्मियों के परिवार में शामिल होने का गौरव प्राप्त होने पर उन्हें बधाई दी। उन्हें बताया कि लोग उनसे हमेशा आदर्श व्यवहार की अपेक्षा रखेंगे तथा उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि को गौर से देखा जायेगा। उन्हें जीवन मे आदर्श व्यवहार करने, सकारात्मक सोच रखने तथा बुरी आदतें त्यागने के लिये भी उनको प्रेरित किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में ललिता कुमारी बनाम उतरप्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। संवैधानिक पीठ द्वारा दिये गये इस निर्णय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है तथा इस तरह की सूचना पर प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी सूचना में अगर संज्ञेय अपराध की सूचना नहीं है तो ऐसे मामलों में आवश्यक हो तो प्राथमिक जांच यह जानने के लिये की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्धकरने के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, यथा :—

i. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है तथा इस तरह के मामलों में प्राथमिक जांच की अनुमति नहीं है।

ii. अगर प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध होने का पता नहीं चलता है परन्तु मामले की परिस्थितियों के अनुसार जांच किया जाना आवश्यक है, प्राथमिक जांच यह जानने के लिये की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध हुआ है अथवा नहीं।

iii. अगर जांच से संज्ञेय अपराध के होने का पता चलता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जानी चाहिये। इस तरह के परिवाद में अगर परिवाद के नस्तिबद्ध करने की आवश्यकता हो तो प्रथम परिवादकर्ता को इस तरह के इन्द्राज की सूचना एक सप्ताह के अन्दर दी जानी चाहिये। प्रेषित सूचना में परिवाद की जांच बन्द करने के कारण उल्लेखित किये जाने चाहिये।

iv. कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। इस तरह के अधिकारी जिनके पास संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना प्राप्त हुई हो और उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध नहीं की गई हो तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

v. प्राथमिक जांच का उद्देश्य परिवाद के तथ्यों या सच्चाई का पता लगाना नहीं है अपितु यह निश्यित किया जाना है कि सूचना से कोई संज्ञेय अपराध बनता है अथवा नहीं।

vi. प्राथमिक जांच किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जिस प्रकार के परिवादों में प्राथमिक जांच की जा सकती है वो निम्नानुसार हैं:—

a. विवाह सम्बन्धी विवाद / पारिवारिक विवाद

b. वाणिज्यिक मामले

c. चिकित्सकीय उपेक्षा के मामले

d. भ्रष्टाचार सम्बन्धी परिवाद

e. जिन मामलों में आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो यथा किसी समुचित कारण के बिना 3 माह से अधिक का विलम्ब हुआ हो। उपरोक्त निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी दिये गये उदाहरण पूर्ण नहीं हैं तथा मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किन मामलों में प्राथमिक जांच की जानी चाहिये।

f. आरोपित अथवा परिवादी के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक जांच समयबद्ध सीमा में पूर्ण की जानी चाहिये तथा 7 दिन से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिये। विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब के कारण को रोजनामचा आम में अंकित करना चाहिये।

g. यद्यपि रोजनामचा आम/स्टेशन डायरी /दैनिक डायरी पुलिस थाने पर प्राप्त होने वाली सूचना के सम्बन्ध में अभिलेख हैं, इस सम्बन्ध में संज्ञेय अपराधों के सभी मामलों में निर्देशित किया जाता है कि चाहे प्रथम सूचना पंजीबद्ध हो और चाहे प्राथमिक जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया हो, उपरोक्त डायरी में लिये गये निर्णय को अंकित किया जाना चाहिये।

दीक्षान्त शपथ

मैं ....शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगी, तद्नुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगी। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे।

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Om Prakash (DD)
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)
Saurabh Kothari (AD)

Photographs By Sagar

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : NJSP, Jaipur # 0141-2365721